जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश

प्रेस नोट सं0 25 , दिनांक 06.07.2021

दिनांक 06.07.2021 को थाना कोतवाली कालपी पुलिस एवं साइबर क्राइम सेल की संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं का झांसा देकर बैंक खाताधारकों से साइबर ठगी करने वाले 02 शातिर अभियुक्तगणों को मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, पासबुक आदि के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. दीपक निषाद उर्फ हैप्पी पुत्र रामबाबू निषाद नि0 मु0 इन्द्रानगर कस्बा व थाना कालपी जनपद जालौन उम्र 23 वर्ष।
2. ईलू निषाद पुत्र बहादुर निषाद नि0 मु0 महमूदपुरा कस्बा व थाना कालपी जनपद जालौन उम्र 20 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण –

1. 64 अदद एटीएम डेबिट कार्ड विभिन्न बैको के व 11 अदद पासबुक , 02 अदद मोबाईल फोन मय सिमकार्ड व 1180 रूपये नगद बरामद।

गिरफ्तारी का स्थान , दिनांक व समय –

अभियुक्तगणों को जनपद जालौन के थाना क्षेत्र कोतवाली कालपी के काली देवी मंदिर के पास मु0 हरीगंज से दिनांक 06.07.2021 को समय 04.10 बजे गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे ,वाहन चोर / वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी कालपी के कुशल नेतृत्व में साइबर क्राइम/कालपी पुलिस की संयुक्त टीम को लगाया गया था। , इसी अभियान के दौरान चैकिंग में अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया।

पूंछतांछ में दोनो व्यक्तियो ने एक स्वर में बताया कि साहब हम लोग अपने जान पहचान के लोगो के पहचान पत्रो को लेकर विभिन्न बैंको में खाता खुलवाते है जिसमें अपनी ई-मेल आईडी का प्रयोग करते है। खाताधारको को बहलाफुसलाकर व विभिन्न सरकारी योजनाओ के लाभ का लालच देकर उनके एटीएम कार्ड व पासबुक ले करके अपनी जान पहचान के जितेन्द्र कुमार पुत्र प्रेमनारायण निवासी 206 डी0 63 संजीव नगर -1 बीएसडी विद्या मन्दिर के पास कानपुर नगर व उसके अन्य साथियो को दे देते है। हम लोग मिलकर के विभिन्न माध्यमो से जैसे OLX पर क्रय विक्रय करके , गूगल पर अपना मोबाइल नम्बर विभिन्न एजेन्सियो के कस्टमर केयर के नाम से अंकित करते है जब कोई व्यक्ति के साथ कोई समस्या हो जाती है तो गूगल से कस्टमर केयर का नम्बर निकालता है जो हमारे नम्बर होते है जिससे बात करने पर हम लोग उस व्यक्ति को ANYDESK,QUICKSUPPORT, ANYWHERE आदि स्क्रीन शेयर एप्प के माध्यम से व अन्य माध्यमो से लोगो के साथ धोखाधडी करके इन्ही खातो में पैसा ट्रान्सफर करवा लेते है जिन्हे इन्ही एटीएम डेबिट कार्ड के माध्यम से विभिन्न शहरो में स्थित एटीएम मशीनो से पैसा निकालकर हम सब लोग आपस में बांट लेते है। जो पैसा मिलता है उसी से हम अपने शौक व जरूरते पूरी करते है जो पैसे हम लोगो के पास मिले है ये पैसे भी फ्राड के पैसे है जो खर्च करने के बाद शेष बचे है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली कालपी पर मु0अ0सं0 193/21 धारा 420 भादवि व 66 C/66D आईटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

आपराधिक इतिहास-

1.अभियुक्त दीपक निषाद उर्फ हैप्पी- 1.मु0अ0सं0 193/21 धारा 420 भादवि व 66C/66D IT ACT थाना कालपी जनपद जालौन।

2.अभियुक्त ईलू निषाद उपरोक्त- 1.मु0अ0सं0 193/21 धारा 420 भादवि व 66C/66D IT ACT थाना कालपी जनपद जालौन।
2.मु0अ0सं0 329/17 धारा 363/366 भादवि 3(2)(V)SC/ST ACT व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कालपी जनपद जालौन।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1.उ0नि0 श्री आलोक पाल प्रभारी चौकी महमूदपुरा कालपी जनपद जालौन।
2.उ0नि0 श्री रामप्रकाश प्रभारी साईबर सेल जनपद जालौन।
3.का0 1443 आलोक यादव साईबर सेल जनपद जालौन।
4.का0 1449 सुशान्त मिश्रा साईबर सेल जनपद जालौन।
5.का0 665 अमिति कुमार कोतवाली कालपी जनपद जालौन।
6.का0 06 अरविन्द कुमार कोतवाली कालपी जनपद जालौन।
7.का0 1886 घनश्याम मिश्रा कोतवाली कालपी जनपद जालौन।